जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–प्रथम, आगरा।

संस्थित का दिनांक– 13.11.2017
निर्णय का दिनांक– 05.06.2025

परिवाद संख्या– 173/2017

राहुल परमार पुत्र स्व0 श्री दामोदर सिंह परमार निवासी 101/ए डिफेन्स कॉलोनी आस्था कम्युनिकेशन के पास, थाना सदर बाजार जिला आगरा – प्रो0 मै0 ओम सांई ट्रेडर्स ।

द्वारा विद्वान अधिवक्ता– श्री पवन कुमार गौतम एडवोकेट

———परिवादी

बनाम

1– एच0 डी0 एफ0 सी0 इरगो जनरल इंश्योरेंस क0 लि0 द्वारा मैनेजर द्वितीय तल अजन्ता प्लाजा, एम0 जी0 रोड, आगरा–282002

2– एच0 डी0 एफ0 सी0 इरगो जनरल इंश्योरेंस क0 लि0 द्वारा मैनेजर क्लेम्स यूनिट नं0 502, 504, 506 पांचवा तल, महट्टा टावर बी–1 ब्लाक, कम्यूनिटी सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058

3– अरविन्द व्हीकल्स, प्रा0 लि0 2 व 3 प्रकाश इन्क्लेब, बाईपास रोड, थाना न्यू आगरा, आगरा

द्वारा विद्वान अधिवक्ता– श्री दीपक गोयल एडवोकेट
श्री नरेश शर्मा एडवोकेट

———प्रतिपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 12, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

समक्ष :– श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष
श्री राजीव सिंह, मा0 सदस्य

श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष/न्यायाधीश द्वारा उदघोषित

निर्णय

परिवादी द्वारा वर्तमान परिवाद प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्व सेवा में कमी के आधार पर बीमित वाहन का घोषित बीमा मूल्य (आई0 डी0 वी0) मु0 7,95,093/–रूपये मय ब्याज, मानसिक पीड़ा क्षतिपूर्ति एवं वाद–व्यय दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– परिवादी का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने एक कार

मॉडल आई–20 एक्टिव दिनांक 29.03.2015 को प्रतिपक्षी संख्या 03 से क्रय की, जिसका पंजीयन संख्या यू0 पी0 80 डी0 ई0 9059 है। परिवादी ने उक्त वाहन का बीमा प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 से काम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी के अन्तर्गत कराया, जिसकी पॉलिसी संख्या 2311201027419400000 दिनांक 29.03.2015 से दिनांक 28.03.2016 तक वैध एवं प्रभावी थी। उक्त पॉलिसी के लिये 30280/–रूपये प्रीमियम अदा किया गया था। पॉलिसी के अनुसार बीमित वाहन की आई0 डी0 वी0 मु0 7,95,093/–रूपये थी। दिनांक 19.11.2015 को उक्त कार टैंक चौराहा मथुरा पर रात्रि करीब 12 बजे पलट गई । जिसकी सूचना प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी को दी गयी और प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी के यहाँ क्लेम दर्ज कराया। उपरोक्त वाहन पर परिवादी द्वारा लिये गये ऋण की पूर्ण अदायगी ओमसाईं ट्रेडर्स ने आन्ध्रा बैंक ताज रोड सदर बाजार आगरा को करके दिनांक 14.03.2017 को बैंक द्वारा परिवादी के पक्ष में नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन का सर्वे करने हेतु एक सर्वेयर नियुक्त किया गया। सर्वेयर द्वारा टोटल लॉस नेट लाइविल्टी अंकन 7,37,000/–रूपये आंकलन करके बीमा कम्पनी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। परिवादी द्वारा प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु कई बार सम्पर्क किया गया, किन्तु प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी ने परिवादी का क्लेम का भुगतान नहीं किया। दिनांक 21.04.2016 को ई–मेल द्वारा प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी ने परिवादी को सूचित किया कि जरूरी कागजात तथा 100/–रूपये स्टाम्प के साथ मथुरा में साल्वेज उठवाने के लिए पहुँचे। परिवादी दिनांक 24.04.2016 को दोपहर 12 बजे मथुरा पहुँचा, किन्तु 4 बजे तक कोई नही आया। तब परिवादी ने 4.51 बजे तक प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी का इंतजार किया, किन्तु कोई नही आया तब परिवादी ने प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी को ई–मेल के माध्यम से सूचना भेज दी। दिनांक 02.05.2016 को प्रतिपक्षी संख्या 02 बीमा कम्पनी द्वारा पत्र के माध्यम से सूचना दी गयी कि वाहन का सर्वेयर द्वारा सर्वे कर लिया गया है और बीमा कम्पनी मु0 7,37,000/–रूपये का क्लेम परिवादी को भुगतान करने के लिए तैयार है, साथ ही प्रतिपक्षी संख्या 02 ने यह भी

कहा कि कम्पनी साल्वेज उठाने के लिए तैयार है, किन्तु परिवादी उनका सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि परिवादी दिनांक 24.04.2016 को साल्वेज उठवाने के लिये मौके पर मथुरा पहुँचा था। दिनांक 10.05.2016 को पत्र द्वारा प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी ने परिवादी को बिना सुने, उसकी फाइल वन्द करके सेवा में कमी कारित की गयी है। परिवादी प्रतिपक्षीगण का उपभोक्ता है और प्रतिपक्षीगण उसके सेवा प्रदाता हैं। प्रतिपक्षीगण की सेवा में कमी के आधार पर परिवादी द्वारा यह परिवाद संस्थित किया गया।

3– प्रतिपक्षीगण को नोटिस भेजे गये थे, नोटिस की तामील पर्याप्त रूप से हुई। प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से लिखित कथन कागज संख्या 21/1 लगायत 21/6 प्रस्तुत करते हुये यह अभिकथन किया है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा क्लेम फार्म प्राप्त होते ही परिवादी द्वारा दर्ज क्लेम का आंकलन करने के लिए सर्वेयर नियुक्त किया गया। सर्वेयर द्वारा परिवादी के क्षतिग्रस्त वाहन का आंकलन करके अंकन 7,37,000/–रूपये क्षतिग्रस्त वाहन के क्लेम के पूर्णरूपेण निस्तारण हेतु परिवादी सहमत हो गया। क्षतिग्रस्त वाहन की साल्बेज का मूल्यांकन 3,50,000/–रूपये किया गया जो कि 7,37,000/–रूपये की धनराशि पर कटौती करते हुये शेष धनराशि 3,86,000/–रूपये बीमा कम्पनी परिवादी को देने के लिए जिम्मेदार है। प्रतिपक्षीगण द्वारा पत्र दिनांकित 02.05.2016, 10.05.2016, 18.05.2016 व 13.07.2016 के द्वारा परिवादी को उसके क्लेम के निस्तारण हेतु सूचित किया गया। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी को पॉलिसी सामान्य एक्सक्लूजन साल्वेज मूल्य मु0 3,50,000/–रूपये की कटौती करके कुल 3,86,000/–रूपये भुगतान के लिये कहा गया, किन्तु परिवादी बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की। इस कारण क्लेम का भुगतान नही किया गया। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार से सेवा में कमी कारित नही की गयी है। परिवादी का परिवाद प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध पोषणीय नही है और सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

4– प्रतिपक्षी संख्या 03 की ओर से लिखित कथन कागज संख्या 23/1 लगायत 23/5 में परिवाद पत्र के अधिकांश कथनों को अस्वीकार करते हुये प्रश्नगत वाहन का प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 के द्वारा बीमा प्रीमियम प्राप्त करना

स्वीकार किया गया है। प्रतिपक्षी संख्या 03 द्वारा कोई सेवा में कमी कारित नही की गयी है और परिवादी उसके विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर उसके विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो सव्यय खारिज होने योग्य है।

5– परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र दिनांकित 13.11.2017 कागज संख्या 2/1 लगायत 2/3 प्रस्तुत किया है, इसके साथ संलग्नक के रूप में बीमा पॉलिसी सर्टीफिकेट कम पॉलिसी शेड्यूल की छायाप्रति कागज संख्या 3 लगायत 4/2, आन्ध्रा बैंक द्वारा जारी लौन सर्टीफिकेट दिनांकित 14.03.2017 की छायाप्रति कागज संख्या 05, बीमा कम्पनी द्वारा जारी पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 6 व 7, बीमा कम्पनी द्वारा जारी पत्र दिनांकित 02.05.2016 की छायाप्रति कागज संख्या 8/1 लगायत 8/2, बीमा कम्पनी द्वारा जारी पत्र दिनांकित 10.05.2016 की छायाप्रति कागज संख्या 9/1 लगायत 9/2, इनवाइस दिनांकित 29.03.2025 की छायाप्रति कागज संख्या 10, प्रस्तुत किये हैं। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 52 के साथ आर0 सी0 कागज संख्या 53 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

6– प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रति शपथ पत्र हस्ताक्षरित द्वारा जांहवी गुप्ता डिप्टी मैनेजर लीगल एच डी एफ सी इरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 दिनांकित 13.10.2024 कागज संख्या 49/1 लगायत 49/5 प्रस्तुत किया गया है, इसके साथ बीमा कम्पनी द्वारा जारी पत्र दिनांकित 13.07.2016 की छायाप्रति कागज संख्या 49/6 लगायत 49/7, बीमा कम्पनी द्वारा जारी पत्र दिनांकित 18.05.2016 की छायाप्रति कागज संख्या 49/8 लगायत 49/9, प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जारी मोटर रिपेयर असिसमेन्ट कम प्रोसेसिंग सीट दिनांकित 19.12.2015 की छायाप्रति कागज संख्या 49/10 लगायत 49/11, बीमा कम्पनी द्वारा जारी पत्र दिनांकित 02.05.2016 की छायाप्रति कागज संख्या 49/12 लगायत 49/13, बीमा कम्पनी द्वारा जारी पत्र दिनांकित 10.05.2016 की छायाप्रति कागज संख्या 49/14 लगायत 49/15, पॉलिसी सर्टीफिकेट कम पॉलिसी शेडयूल की छायाप्रति कागज संख्या 49/16 लगायत 49/17 प्रस्तुत किये गये हैं।

7— हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस एवं तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एव उनके द्वारा प्रस्तुत की गयीं लिखित बहस का भी अवलोकन किया गया।

8— प्रस्तुत परिवाद का सुगमतापूर्वक निस्तारण किये जाने हेतु निम्न लिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किये जाते हैं।

(1)— क्या परिवादी एवं प्रतिपक्षी के मध्य उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता का सम्बन्ध स्थापित है ?

(2)— क्या प्रतिपक्षी द्वारा बीमा दावा धनराशि का भुगतान न करके, सेवा में कमीं कारित की गयी है ?

(3)— परिवादी किस अनुतोष को पाने का अधिकारी हैं ?

निष्कर्ष

09 — बिन्दु संख्या:— 01 इस बिन्दु के अन्तर्गत यह विनिश्चय किया जाना है कि क्या परिवादी एवं प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी के मध्य उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता का सम्बन्ध स्थापित है ? इस बिन्दु को साबित करने का भार परिवादी पर है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह बहस की गई कि परिवादी ने एक कार मॉडल आई—20 एक्टिव दिनांक 29.03.2015 को प्रतिपक्षी संख्या 03 से क्रय की थी, जिसकी पंजीकरण संख्या यू0 पी0 80 डी0 ई0 9059 है। परिवादी ने उक्त वाहन का बीमा प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 से काम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी के अन्तर्गत कराया था, जिसकी पॉलिसी संख्या 2311201027419400000 है जो दिनांक 29.03.2015 से दिनांक 28.03.2016 तक प्रभावी एवं वैध था। उक्त पॉलिसी के लिये 30280/—रूपये प्रीमियम अदा किया गया था। पॉलिसी के अनुसार बीमित वाहन की आई0 डी0 वी0 7,95,093/—रूपये थी। परिवादी ने अपने शपथ पत्र के साथ उपरोक्त कार पॉलिसी की छायाप्रति कागज संख्या 4/1 लगायत 4/2 प्रस्तुत की है। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा उपरोक्त पॉलिसी को बहस के दौरान परिवादी द्वारा क्रय किया जाना स्वीकार किया है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर परिवादी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (1 (डी) के अन्तर्गत उपभोक्ता

की श्रेणी में आता है। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी उसकी सेवा प्रदाता है।

10 – बिन्दु संख्याः– 02 इस बिन्दु के अन्तर्गत यह विनिश्चय किया जाना है कि क्या प्रतिपक्षी द्वारा बीमा दावा धनराशि का भुगतान न करके, सेवा में कमीं कारित की गयी है ? इस बिन्दु को साबित करने का भार परिवादी पर है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह बहस की गई कि प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा लगभग 50 प्रतिशत साल्वेज की कटौती गलत रूप से करते हुये शेष धनराशि 3,86,000/–रूपये सैटिलमेन्ट के आधार पर भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा गया। यह भी बहस की गयी कि कथित कार वर्ष 2015 में क्रय की गयी थी और करीब 08 माह के अन्दर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी और सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार 90 प्रतिशत क्षतिग्रस्त होन पर सम्पूर्ण क्षति (टोटल लॉस) के आधार पर क्लेम का निर्धारण किया जाना था। इस प्रकार प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी ने गलत रूप से एवं मनमाने तरीके से साल्वेज की कटौती कर क्लेम सैटिलमेन्ट करके सेवा में कमीं कारित की गयी है। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी ने उपरोक्त बहस का विरोध किया और यह बहस की है कि सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर साल्वेज की कटौती की गयी है और क्लेम सैटिल करने में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा सेवा में कमीं कारित नहीं की गयी है। यह भी बहस की गयी कि सैटिलमेन्ट क्लेम की धनराशि 3,86,000/–रूपये प्राप्त करने कें लिए परिवादी ने औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की। हमने उभय पक्ष की उपरोक्त बहस के सेंदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् रूपेण अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में मुख्य विवाद यह है कि क्या बीमा कम्पनी द्वारा साल्वेज के लिये 3,50,000/–रूपये की कटौती सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर किया जाना विधिसम्मत है ? इस संदर्भ में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से पॉलिसी के अनुबन्ध एवं शर्तो का कोई उल्लेख लिखित कथन अथवा बहस के दौरान नहीं किया गया है, जिसमें साल्वेज के लिये कटौती का आई0 डी0 वी0 के अनुसार क्या प्रतिशत होगा ? सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार जो मशीनरी क्षतिग्रस्त हुई है, उसके आधार पर साल्वेज की कटौती किया जाना न्यायसंगत नही है। सामान्यतः आई0 डी0 वी0 के अनुसार सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त कार के लिए जीरो प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है। इस संदर्भ में हम

निर्णयज विधि **रवीश सिंह बनाम इफको टोकियो जी0 आई0 सी0 लि0 व अन्य निर्णीत दिनांकित 09 अगस्त 2021 एन0 सी0 डी0 आर0 सी0** का उल्लेख करना चाहेगे जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली द्वारा 29,31,140/—रूपये कार की आई0 डी0 वी0 पर मात्र 1,00,000/—रूपये की साल्वेज कटौती करते हुये बीमा कम्पनी को बीमा धनराशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा मनमाने तरीके से गलत रूप से साल्वेज कटौती मु0 3,50,000/—रूपये करते हुए क्लेम सैटिल कर सेवा में कमी कारित की है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आई0 डी0 वी0 मु0 7,95,093/—रूपये से 10 प्रतिशत की कटौती व पॉलिसी एक्सेस के लिए 1000/—रूपये (कुल 80,509/—रूपये) की कटौती करते हुये बीमा धनराशि का भुगतान परिवादी को न करके सेवा में कमीं कारित की गयी है। इस संबंध में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस में कोई विधिक बल नही है। बिन्दु संख्या 02 तदनुसार परिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

<u>11 — बिन्दु संख्याः— 03</u> इस बिन्दु के अन्तर्गत यह विनिश्चय किया जाना है कि परिवादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ? बिन्दु संख्या 01 व 02 के निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुये परिवादी मै0 ओम सांई ट्रेडर्स का एक मात्र प्रोपराइटर/केयर टेकर है, जो क्षतिग्रस्त कार के लिए साल्वेज की 10 प्रतिशत कटौती व पॉलिसी एक्सेस के लिए 1000/—रूपये की कटौती करते हुये बीमा घोषित मूल्य मु0 7,95,093 — 80509 = 7,14,584/- रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त परिवादी को मानसिक पीड़ा क्षतिपूर्ति के रूप में 10000/—रूपये व वाद व्यय के लिये 5000/—रूपये भी दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रस्तुत परिवाद प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 बीमा कम्पनी के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत परिवाद प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 बीमा कम्पनी के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 बीमा कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के दिनांक से 45 दिन के अन्दर कार संख्या

यू0 पी0 80 डी0 ई0 9059 की पॉलिसी संख्या 2311201027419400000 के कम में बीमा धनराशि मु0 7,14,584/– (सात लाख चौदह हजार पाँच सौ चौरासी रूपये) डी0 डी0 के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करने के दिनांक 13.11.2017 से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित आयोग के खाता में जमा करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त मानसिक पीड़ा क्षतिपूर्ति 10000/– (दस हजार रूपये) व वाद व्यय 5000/– (पाँच हजार रूपये) की धनराशि भी उपरोक्त ड्राफ्ट के साथ जमा करें। यदि प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी ऐसा करने में चूक करती है तो परिवादी उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के स्थान पर 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(राजीव सिंह) 5.6.25
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम)आगरा।

(सर्वेश कुमार)
अध्यक्ष 05/6/2025
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम) आगरा।

आज यह निर्णय खुले आयोग में हस्ताक्षरित व दिनांकित उद्घोषित किया गया।

(राजीव सिंह) 5.6.25
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम)आगरा।

(सर्वेश कुमार)
अध्यक्ष 05/6/2025
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम) आगरा।

दिनांक – 05.06.2025
एस0एस0 पी0ए0–2

Free certified copy
Serial No. of the application 174
Date of receipt of application 11.06.2025
Name of the applicant मदन कुमार गौतम (अ0)
Date of disposal 11.06.2025 परिवादी
Date of Preparation of copy 11.06.2025
Date of dispatch of free certified copy of order &
By hand 11.06.2025
By Post by Hand

P.A. 2
11/06/2025

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम आगरा
निष्पादन वाद संख्या 41/2025

राहुल परमार पुत्र स्व0 श्री दामोदर सिंह परमार ——— **परिवादी**

बनाम

एच0 डी0 एफ0 सी0 इरगो जनरल इंश्योरेंस कं0 लि0 ——— **प्रतिपक्षी**

उपस्थित— **श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष**
श्री राजीव सिंह, मा0 सदस्य

दिनांक— 27.09.2025

पत्रावली आज उपभोक्ता लोक अदालत में पेश हुई। अवलोकन किया गया। निष्पादन प्रार्थना पत्र के अनुसार वांछित धनराशि 12,33,160/—रूपये प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमा किया जा चुका है, जिसे परिवादी/डिक्रीदार प्राप्त करने का अधिकारी है। वांछित धनराशि आयोग के खाते मे जमा होने का सत्यापन प्राप्त होने के पश्चात् मु0 12,33,160/—रूपये का एकाउन्टपेई चेक परिवादी/डिक्रीदार के नाम से निर्गत किया जाये। वाहन की आर0 सी0, आर0 टी0 ओ0 कार्यालय में दिनांक 26.09.2025 को सरेन्डर की जा चुकी है और इस संबंध में आर0 टी0 ओ0 कार्यालय की आख्या कागज संख्या 20 लगायत 22 प्रस्तुत की गयी है। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी तदनुसार सूचित हो। निष्पादन कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अध्यक्ष — सदस्य

चेक नं0 — 097330 दिनांक 4.10.25
राशि — 12,33,160/= P.N.B चेक निर्गत

Free certified copy
Serial No. of the application 330
Date of receipt of application 30.09.2025
Name of the applicant दीपक गोपाल बाबू
Date of disposal 30.09.2025 O.P.
Date of Preparation of copy 30.09.2025
Date of dispatch of free certified copy of order
By Hand 30.09.2025
By Post by Hand
P.A.2
30/09/2025

श्रीमन, जी,
cheque No. 097330 प्राप्त किया Rs. 12,33,160/=

Identified Rahul Parmar.
P.K. Gautam
पवन कुमार गौतम
एडवोकेट
E.No. - 1281/83
कचैहरी दीवानी, आगरा